बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषयः— बिहार राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं0—131 ज्ञ(त) के तहत नामांकन के आधार पर प्रतिष्ठित संस्थानों का चयन की स्वीकृति के संबंध में।

[Selection of reputed institutions based on nomination under Rule No.-131ZZ of the Bihar Financial (Amendment) Rules, 2024 for providing quality training in the field of Artificial Intelligence (AI) to the honorable members of both Houses of the Bihar State Legislature and to the officers and employees of the State Government.]

वर्तमान युग सूचना प्रावैधिकी का युग है और भविष्य में इसकी भूमिका और विस्तृत होने जा रही है। सूचना प्रावैधिकी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक ऐसे टूल्स के रूप में स्थापित हो रहा है जो कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने, प्रशासनिक नियंत्रण, नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन, पब्लिक सर्विस डिलेवरी तथा जन भागीदारी को व्यापक बनाकर राज्य सरकार के सुशासन के सभी आयामों (All dimensions of good governance) को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी।

2. भारत सरकार में AI in Governance, Mission Karmayogi और NeGD/ India AI जैसे केंद्रीय कार्यक्रमों के द्वारा पहले से ही सरकारी अधिकारियों के AI और डिजिटल क्षमता वर्धन पर बल दिया जा रहा है। भारत सरकार के कार्यक्रमों के अनुरूप राज्य सरकार के स्तर पर भी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के AI और डिजिटल क्षमता वर्धन की आवश्यकता है।

3. उल्लेखनीय है कि शोध, नवाचार एवं इस क्षेत्र के अग्रणी उद्योग एवं संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर AI जैसे वैश्विक परिवर्तनकारी क्षमता रखने वाले क्षेत्र में बिहार राज्य एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित हो, के उद्देश्य से बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (Bihar Artificial Intelligence Mission) का गठन किया गया है।

मिशन के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य राज्य में तकनीकी संस्थानों के माध्यम से AI के क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना है, जिससे कि कृत्रिम बुद्धिमता आधारित (AI) प्रौद्योगिकी अनुकूलन को बढ़ावा मिले।

क्रमशः 2/–

4. इस क्रम में राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण के माध्यम से AI Enabled System की समझ विकसित कर प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन का उपयोग, आधारभूत संरचना का निर्माण, कृषि जनित क्षेत्र, समाज कल्याण, कला संस्कृति एवं पर्यटन के विकास में प्रभावकारी परिणाम लाया जा सकता है। इससे राज्य सरकार की व्यवस्था एवं सेवाएं पारदर्शी, जवाबदेह एवं डेटा आधारित हो सकेंगी।

उक्त प्रयोजन से राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों, अखिल भारतीय सेवाएं यथा– भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा तथा राज्य स्तर के सभी सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों जैसे– बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार सचिवालय सेवा आदि तथा तकनीकी सेवाएँ यथा बिहार अभियंत्रण सेवा, बिहार स्वास्थ्य सेवा, बिहार योजना सेवा आदि के साथ–साथ राज्य के सभी सेवा संवर्ग के नियमित एवं संविदा आधारित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को AI के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु निम्नांकित प्रतिष्ठित संस्थानों की संबद्धता से प्रशिक्षण कार्यक्रम (शुल्क सहित) की रूप–रेखा तैयार की गयी जो अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है :–

(i) National University of Singapore (NUS)

(ii) Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Patna

(iii) Indian Institute of Technology (IIT), Patna

(iv) National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT), Patna

(v) Chandragupt Institute of Management, Patna (CIMP)

5. माननीय मंत्रीगण एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यगण के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम का संचालन एवं प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान तथा प्रशिक्षणोपरांत आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने की कार्रवाई क्रमशः मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग के द्वारा की जायेगी।

6. विभिन्न विभाग अपनी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु नामांकन एवं प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान की कार्रवाई करेंगे।

पदाधिकारियों/कर्मचारियों के AI प्रशिक्षण के सभी कार्यक्रम का संचालन एवं प्रशिक्षणोपरांत आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने की कार्रवाई के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग नोडल विभाग होगा।

7. उपर्युक्त कंडिका–4 के अन्तर्गत अनुसूची–1 में उल्लेख किये गये संस्थानों एवं Courses के अलावा आवश्यकतानुसार अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों एवं Courses को भी AI प्रशिक्षण हेतु मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से सम्मिलित किया जा सकेगा।

8. उक्त नामित संस्थानों की संबद्धता से प्रशिक्षण पर वार्षिक व्यय की लागत राशि रू० 50,00,000.00 (पचास लाख रूपये) से अधिक संभावित है।

9. अतएव बिहार राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं0–131 ज्ञ(त) के तहत नामांकन के आधार पर प्रतिष्ठित संस्थानों (यथा वर्णित उपर्युक्त कंडिका–4) का चयन किया गया है।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 06.05.2026 को मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8/5/26

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 01–सू०प्रा०(स्था०)–26/2026 ...760... पटना, दिनांक ...08.05.2026...
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष संस्करण में प्रकाशित करने के लिए। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित करें तथा इस विभाग को उपलब्ध कराएँ।

8/5/26
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 01–सू०प्रा०(स्था०)–26/2026 ...760... पटना, दिनांक ...08.05.2026...
प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सिचव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/5/26
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 01–सू०प्रा०(स्था०)–26/2026 ...760... पटना, दिनांक ...08.05.2026...
प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/26
सरकार के सचिव